

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार  
ऑचलिक कार्यालय, (उत्तर)  
लखनऊ - 226010

दूरभाष संख्या : 0522- 4087600

फैक्स संख्या : 0522-4087602

जेड.ओ.एल./प्रशा./13/खण्ड IV/ 247  
सेवा में,

दिनांक 24.06.2014  
25

संलग्नक के अनुसार

## कोटेशन आमंत्रण सूचना

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), लखनऊ द्वारा विभिन्न स्टेशनरी सामग्री के लिए लिमिटेड कोटेशन आमंत्रित की जाती हैं -

### Description for Stationary items


क्र.सं.	सामग्री विवरण	मात्रा
1.	पेपर (ए-4 जे.के)	30 रिम
2.	पेपर (फुल स्केप जे.के.)	10 रिम
3.	क्लॉथ इन्वेलप (16/12 पीला)	100 पीस
4.	क्लॉथ इन्वेलप (12/10 पीला)	100 पीस
5.	जेम्स क्लीप प्लास्टिक	20 बॉक्स
6.	फाईल कवर (प्रिंटेड)	500 पीस
7.	फाईल बोर्ड	500 पीस
8.	लेटरहेड पैड (प्रिंटेड)	20 पैड
9.	ब्राउन टेप (2")	10 पीस
10.	नोटशीट पैड (प्रिंटेड)	20 पैड
11.	स्टेपलर (छोटा 10 नं.)	10 पीस
12.	स्टेपलर पिन	20 डिब्बी
13.	पंचिंग मशीन (सिंगल होल)	10 पीस
14.	पंचिंग मशीन (डबल होल)	05 पीस
15.	राईटिंग पैड (स्पाईरल)	20 पैड

इस संबंध में **नियम व शर्तें** निम्नानुसार है-

01. कोटेशन इस कार्यालय में दिनांक 11.07.2014 तक या इससे पूर्व पहुँच जानी चाहिए अन्यथा कोटेशन निरस्त की जा सकती है।


02. कोटेशन को लिफाफे में अच्छी तरह मुहरबंद करें तथा कोटेशन क्रमांक जेड.ओ. एल/प्रशासन/01/खण्ड- VII/ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट लिखा हो। कोटेशन को डाक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑचलिक कार्यालय (उत्तर), पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को प्रेषित करने या कार्यालय में रखे कोटेशन बॉक्स में डाले जाने की सलाह दी जाती है।
03. बोर्ड एक या सभी कोटेशन को बिना कोई कारण बताए रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोटेशन खोले जाने की तिथि को भी बिना कोई कारण बताए स्थगित किया जा सकता है।
04. कोटेशन पर सुधार या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। गलती यदि हो जाए तो उस पर हस्ताक्षर कर दिया जाए।
05. दर शब्दों एवं अक्षरों दोनों में लिखा जाए। दोनों में विषमता की स्थिति में शब्दों में लिखें दर को सही एवं अन्तिम माना जायेगा।
06. निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त किसी भी कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
07. किसी भी विवाद की स्थिति में अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।
08. टाइपिंग या लिपिकीय गलतियों में सुधार किया जा सकता है।

नोट : कृपया अपनी कोटेशन को अच्छी तरह मुहरबंद इत्यादि करके भेजें अन्यथा कोटेशन को निरस्त किया जा सकता है।

  
(गोविन्द भगत)  
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि:

- ✓ 1. प्रभारी, आई टी डिवीजन, मुख्यालय, दिल्ली - कृपया बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
2. कार्यालय प्रति, ऑ. कार्या. लखनऊ

  
25/6/15  
अनुभाग अधिकारी